Title: Need to ensure employment opportunities for apprentices of Hindustan Aeronautics Limited,Kanpur, Uttar Pradesh.

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर): महोदय, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर प्रभाग भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का एक उपक्रम है जहां से प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेन्टिस अभ्यिर्थियों को अभी तक सेवायोजित नहीं किया गया है जबकि विगत वर्षों में अनेक लोग सेवा निवृत्त हो चुके हैं जिनके स्थान पर केजुअल/ठेकेदारी प्र था अपनाई जा रही है जिसके परिणामस्वरूप यह प्रशिक्षित अभ्यर्थी ओवरएज होते जा रहे हैं। इनकी नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय का भी इस विषय पर स्पष्ट निर्णय अपील संख्या ४३४७-५४ वर्ष १९९० में दिनांक १२ जनवरी, १९९५ को आ चुका है जिसके अनुरूप प्रशिक्षित अप्रेन्टिस की नियमित नियुक्ति में लिखित एवम् साक्षात्कार परीक्षा आयु तथा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता को शिथिल कर वरिष्ठता क्रम के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर सेवायोजित किया जाना चाहिए। श्रम मंत्रालय भी १५ फरवरी, १९९५ को उच्चतम न्यायालय के निर्णय पालन सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रतिष्ठानों को निर्देशित कर चुका है परन्तु खेद का विषय है कि एच.ए.एल. कानपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों की घोर अवज्ञा की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षित अप्रेन्टिस दर-दर भटक रहे हैं एवम् अपने भविष्य के प्रति निराश होने लगे हैं।

मेरा रक्षा मंत्रालय से आग्रह है कि इस विषय की ओर व्यक्तिगत ध्यान दे एवम् पीड़ित अभ्यर्थियों का एच.ए.एल. कानपुर में तत्काल सेवायोजित करने का निर्देश देकर न्याय सुरक्षित करें।